न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 35/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/00308

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. श्रीमती मंजू चतर धर्मपत्नी स्व. श्री राजेश जी चतर 2. श्री आशीश चतर पुत्र श्री स्व. श्री राजेश जी चतर 3. श्रीमती राजू चतर पुत्री श्री स्व. राजेश जी चतर जातिगण जैन निवासीगण ब्यावर जिला अजमेर के आममुख्तियार आवडदान पुत्र श्री सुमेरदानजी, जाति चारण, निवासी प्रतापपुरा, कालू जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता हिम्मत सिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 17-9-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध आदेश तहसीलदार दिनांक 04.11.2020 जो प्रकरण संख्या 4/2020 बअनवान सरकार बनाम राजेश चतर में पारित किया को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के मय शपथपत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मातहत अदालत की पत्रावली तलब की गई एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया इस प्रकार नोटिस नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात किया है। जिसमें जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है अर्थात राजेश चतर की मृत्यु 01.11.2019 को ही हो चूकी थी एवं उसके विधिक वारिसान को बिना पक्षकार नियोजित किए ही यह आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश कर दिया जो शुन्यवृत होने से निरस्त योग्य है। इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 09.11.2020 को हुई जब नायब तहसीलदार जैतारण मौके पर जेसीबी लेकर अपीलांट के बने कमरे को तोड़ने के लिए आये तब अपीलांट के आम मुख्तियार आवड़दान ने फोन करके सूचना दी व जेसीबी को कमरा ध्वस्त करने की कार्यवाही को रोका। तथा आवेदन पेश किया एवं नकल आदेश दिनांक 11.11.2020 को मिलने पर यह अपील पेश की दिनांक 12.12.2020 व 13.12.2020 के अवकाश था बाद में दिनांक 14.12.2020 को पेश की जो जानकारी से अन्दर म्याद पश की गई है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश कानूनन निष्प्रभावी होने से उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है लिहाजा अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

ग्राम निमाज तहसील जैतारण के खसरा नंबर 1129/1 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा है कमर[illegible] है व चारों आरे तारबंदी की हुई है व गेट लगा हुआ है [illegible] 13 को दी तो प्रकरण 788/2013 दर्ज [illegible] 84/2015 फिर 1/2016, 1/2018, 1/2019 एवं अन्तिम 4/020 दर्ज किया एवं लगातार 13[illegible] से आदेशिका लिखी गई एवं पत्रावली अन्तरित [illegible]ती रही इस दरम्यान [illegible] को राजेश चतर का देहान्त हो गया उसके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिया गया न ही प्रकरण एबेट होने पर खारिज किया गया। इस प्रकार कानून की समानता को भी ठुकराया गया है इस कारण भी आदेश खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.........2

इस भूमि संबंधी ग्राम पंचायत निमाज ने अपीलांट के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया जो पट्टा नंबर 37 मिसल संख्या 71 दिनांक 12.02.1969 दर्ज कर दिनांक 11.7.1970 को रामप्यारी जोजे मूलचंद जाति कुमावत के हक में पट्टा दिया गया। उस पट्टे के आधार पर ही उक्त भूमी अपीलांट के पूर्वजों ने क्रय की है तब से ही अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। इस कब्जे के संबंध में तहसीलदार जैतारण ने अड़चन डाली तो रामप्यारी ने सिविल कोर्ट जैतारण में एक दावा तहसीलदार जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक निमाज, प्रशासन नगर पालिका निमाज व पटवारी हल्का निमाज चक-। के विरूद्ध पेश किया जिस में पारित डिक्री से यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से वादीगण को बेदखल करनेके अधिकारी नहीं होंगे तथा इस भूमी का उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत ने तारिख 12.6.2013 को अनापति प्रमाण पत्र दिया जो प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 5.6.2013 का आदेश जो अपील संलग्न प्रस्तुत है। उक्त भूमी संबंधी सहायक कलेक्टर जैतारण में अपीलांट का दावा चल रहा है फिर भी इस भूमी को नामान्तरकरण संख्या 335 के जरिये गोचर दर्ज करना बताया है जिसका रकबा 497 बीघा 12 बिस्वा जो पूर्व में यह भूमी बारानी दोयम थी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के पास थी लेकिन अपीलांट इस मौके से अलग भूमी पर काबिज है जिसका कब्जा सड़क से अलग है इस प्रकार उक्त भूमी गोचर नहीं हो सकती है इससे यह भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1129/1 का सही तौर पर नाप चौक व मौका सर्वे नहीं किया कि अपीलांट की भूमी उक्त खसरे में आती है अथवा नहीं, यह जांच नहीं की, गोचर भूमी का रकबा कम पड़ता है या नहीं, इसकी भी जांच नहीं की। इस सब के बाद ही निर्णय पारित करना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस प्रकार तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के प्रावधानों का उल्लंघन कर आदेश जारी कर दिया जो निरस्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि पटवार हल्का निमाज-। की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल राजेश चतर पुत्र रतनलाल चतर कौम जैन निवासी 21 खटीकान हाथाई के पास ब्यावर द्वारा मौका निमाज के खसरा नंबर 1129/1 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर की भूमी पर संवत 2070 में भूमी को समतल कर पत्थर डालकर कब्जा करने से अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की तो गैर सायल को तलब किया बाद जवाब माननीय सिविल न्यायाधिश मूल दिवानी वाद संख्या 63/88 अनवान रामप्यारी बनाम तहसीलदार जैतारण में पारित निर्णय दिनांक 4.5.1995 का अवलोकन कर जैर अपील आराजी की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत होने से पट्टा संख्या 37 मिसल संख्या 71/68-69 रकबा 500 गुणा 400 कुल 200000 वर्गफिट का जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर एवं आरम्भतः शुन्य होने से तथा ग्राम पंचायत द्वारा गैर मुमकिन आबादी भमी पर पट्टा जारी करने में विधिक रूप से सक्षम नहीं होने से यह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में तहसीलदार को 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विचारण, निर्णय करने से निषेध नहीं किया है इस प्रकार अपीलांट का आक्षेप स्वीकार करने योग्य नहीं मानकर पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की रिपोर्ट एवं स्वयं गैर सायल के जवाब प्रार्थना पत्र को आधार मानकर तहसील जैतारण के खसरा नंबर 1129/1 रकबा 494 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गोचर में 10.06 बीघा 20000 वर्गगज भूमी पर अतिक्रमण मानकर बेदखली एवं 50 गुणा जुर्माना आरोपित किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए है जो विधिसंगत एवं न्यायोचित होने से जै[illegible] जाने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं मातहत अदालत की पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु एक है:-

1. क्या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही में पारित आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश..........3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

राजेश चतर के विरूद्ध मातहत अदालत में प्रकरण 2013 में अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के दर्ज किया गया जिसका निर्णय 4.11.2020 को किया गया। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते राजेश चतर की मृत्यु दिनांक 01.11.2019 को हो गयी उसके पश्चात से प्रकरण विचाराधीन रहा एवं राजेश चतर के वारिशान को रेकर्ड पर नहीं लिया गया। एवं मातहत अदालत ने पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक निमाज–। से प्रश्नगत आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2020 को प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 04.11.2020 को निर्णय पारित कर दिया गया जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। उक्त निर्णय निश्चित रूप से एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित कर मातहत अदालत ने विधिक त्रुटि की है इस प्रकार से मृतक के विरूद्ध पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 4/2020 अनवान पटवार हल्का निमाज बनाम राजेश चतर में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 को अपास्त किया जाता है। यदि उक्त राजकीय भूमी पर अतिक्रमण है, तब तहसीलदार जैतारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत उचित प्रक्रिया अपनाकर, सुनवाई का मौका देकर नवीन रूप से निर्णय करने को स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 17-9-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली राजस्थान

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 10:57:39 IST
Reason: SelfAttested